समाहरणालय, सहरसा

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

आदेश

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 101/स0क0 दिनांक 25.01.2017 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी छूटे हुए पेंशनधारियों को DBT द्वारा पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान के आयोजन का निदेश प्राप्त हुआ है। पूर्व में 114809 पेंशनधारियों को शिविर के माध्यम से भुगतान किया जा रहा था। जिसमें अभी तक मात्र 98793 पेंशनधारियों का हीं खाता संख्या ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड हो पाया है। इनमें से 84169 पेंशनधारियों का बैंक खाता PFMS द्वारा Accept किया गया है तथा 13373 पेंशनधारियों का खाता Reject कर दिया गया है। इस प्रकार संभवतः पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी योग्य पेंशनधारियों का नाम ई–लाभार्थी पोर्टल पर अभी दर्ज नहीं किया जा सका है। जिसके कारण उनका door-to-door सर्वेक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर छूटे हुए सभी पेंशनधारियों का डाटा अपलोड करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वैसे पेंशनधारी जिन्हें PFMS द्वारा Reject कर दिया गया है, उनका सत्यापन करने के उपरान्त पुनः ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, ताकि सभी योग्य पेंशनधारी को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

अतः पूर्व से स्वीकृत छूटे हुए वैद्य पेंशनधारियों के सत्यापन हेतु कैम्प का आयोजन दिनांक 01.02.2017 से 25.02.2017 तक सभी प्रखंडों/नगर में विशेष अभियान चलाकर किया जा रहा है। जिसके लिए निम्नवत निदेश दिये जाते हैं –

1. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ई–लाभार्थी वेबसाईट से पंचायतवार लाभुकों की सूची निकालकर उसका मूल पेंशन वितरण पंजी से मिलान करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी भी पूर्व से स्वीकृत वैद्य पेंशनधारी का नाम इन्ट्री में छूट नहीं पाये। अगर इन्ट्री के समय वैद्य पेंशनधारियों का नाम छूट गया हो तो उनके बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, स्वीकृति संख्या एवं तिथि, जन्म तिथि/जन्म वर्ष के साथ–साथ अन्य आवश्यक विवरणी पुनः इन्ट्री करवाना सुनिश्चित करेंगे।
2. पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी योग्य पेंशनधारियों की सूची का सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव/विकास मित्र/पंचायत रोजगार सेवक/आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के माध्यम से सभी पंचायतों/वार्डों में करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायतवार लाभुकों की सूची पेंशनधारियों के खाता संख्या, आधार संख्या एवं अन्य सूचनायें संग्रहण हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों, यथा–पंचायत सचिव/टोला सेवक/विकास मित्र/पंचायत रोजगार सेवक/आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका, को उपलब्ध करायेंगे।
3. प्रतिनियुक्त कर्मी अपने पंचायत/वार्ड की सूची प्राप्त कर door-to-door जाकर सूची का सत्यापन करेंगे। साथ हीं इसी क्रम में बैंक खाता संख्या, आधार संख्या की छायाप्रति एवं आधार लिंक सहमति पत्र भी प्राप्त करेंगे। PFMS Rejected पेंशनधारियों का भी खाता संख्या इसी क्रम में सत्यापित किया जायेगा तथा सही खाता संख्या की विवरणी भरी जायेगी। सत्यापन के दौरान वैसे पेंशनधारी, जिनकी मृत्यु हो चुकी हो, कहीं अन्यत्र चले गये हो या फर्जी हो, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सहरसा को दिनांक 13.02.2017 तक उपलब्ध करायेंगे।
4. इस प्रकार छूटे हुए पुराने पेंशनधारियों को सत्यापित, पलायित, फर्जी और मृत चार श्रेणियों में बाँट दिया जायेगा। उक्त सूची सम्बन्धित पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 13.02.2017 तक लगा दिया जायेगा तथा दिनांक 20.02.2017 तक दावा आपत्ति प्राप्त करने के उपरान्त निराकरण करते हुए दिनांक 25.02.2017 तक जिला के सभी योग्य पेंशनधारियों की सूची अन्तिम रूप से तैयार करते हुए ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. जिस पेंशनधारी का बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, उनका बैंक खाता खुलवाने हेतु अग्रणी बैंक प्रबंधक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बैंक के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा कर आवश्यकतानुसार विशेष शिविर का आयोजन करेंगे। शिविर का आयोजन पंचायत भवन या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चिन्हित अन्य सार्वजनिक स्थान में किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी शिविर में प्रधानमंत्री जन–धन योजना अथवा अन्य के तहत खाता खुलवाने का आवेदन–पत्र एवं पेंशनधारियों की फोटोग्राफी की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। शिविर में निर्धारित तिथि को पेंशनधारियों के Moblization से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार, माईक/पोस्टर आदि द्वारा किया जायेगा। साथ हीं नये खाता संख्या को भी वेबसाईट पर अपलोड हेतु शिविर में हीं प्राप्त कर लिया जायेगा।

6. प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, जिन पेंशनधारियों का आधार संख्या उपलब्ध है, उन्हें टोला सेवक/विकास मित्र/पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत सचिव/आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका द्वारा सूची सत्यापन के दौरान हीं संग्रह कराते हुए अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं आधार संख्या का बैंक खाते से लिंक करने का सहमति पत्र भी पेंशनधारियों से प्राप्त करते हुए सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध करायेंगे। साथ हीं आधार शिविर में पेंशनधारियों के Moblization हेतु भी प्रचार–प्रसार करायेंगे।

7. पेंशनधारियों की सूची सत्यापन, उनका बैंक खाता खोलने, आधार पंजीकरण एवं सहमति पत्र प्राप्त करने हेतु प्रति पेंशनधारी 3/– रूपये की दर से Incentive का भुगतान किया जायेगा, जिसकी औचित्यपूर्ण माँग प्रखंड विकास पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी से करेंगे। पंचायत सचिव को Incentive का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. पेंशन वितरण पंजी से जिन पेंशनधारियों की इन्ट्री ई–लाभार्थी पोर्टल पर की जा चुकी है, उसके बाद की तिथि से नये स्वीकृत पेंशनधारियों की ई–लाभार्थी पोर्टल पर इन्ट्री इसी क्रम में कर ली जायेगी (बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, स्वीकृति संख्या एवं तिथि के साथ अन्य विवरणी सहित)।

9. प्रखंड क्षेत्र में सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नगर क्षेत्र में सम्बन्धित कार्यपालक पदाधिकारी इस विशेष अभियान के नोडल पदाधिकारी नामित किये जाते हैं तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी।

10. प्रखंड विकास पदाधिकारी PFMS द्वारा Accepted सभी पेंशनधारियों का Freezing दिनांक 05.02.2017 तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सभी को पेंशन का भुगतान किया जा सके।

11. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सहरसा विशेष अभियान का अनुश्रवण करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिदिन कार्य में हुए प्रगति से सम्बन्धित प्रतिवेदन सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सहरसा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः निदेश है कि मिशन मोड में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर (दिनांक 01.02.2017 से 25.02.2017 तक) सभी छूटे हुए वैद्य पेंशनधारियों का सत्यापन कराते हुए पेंशनधारियों की संख्या का अन्तिम रूप से निर्धारण करना सुनिश्चित करने के साथ–साथ ई–लाभार्थी पोर्टल पर उक्त सभी पेंशनधारियों का आवश्यक सूचना, यथा–बैंक खाता संख्या (IFS Code), आधार संख्या, मोबाईल संख्या, स्वीकृति संख्या एवं तिथि तथा जन्म तिथि/जन्म वर्ष आदि, अपलोड कराते हुए पेंशन भुगतान से वंचित पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 33......./सा0सु0को0, सहरसा दिनांक 31...... जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सहरसा जिला/कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपरिषद, सहरसा/नगरपंचायत, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिजिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/कार्यक्रम पदाधिकारी, ICDS, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

31.1.17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

विहित प्रपत्र

ड/नगर का नाम :–

मांक	पंचायत/वार्ड	कुल पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व से खाता प्राप्त पेंशनधारियों की संख्या	कुल बचे हुए पेंशनधारियों की संख्या	सत्यापित पेंशनधारियों की संख्या	फर्जी पेंशनधारियों की संख्या	पलायित पेंशनधारियों की संख्या	मृत पेंशनधारियों की संख्या
	कुल							

प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी,

....